छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 74/2006</u>

श्री रमेश कुमार चंद्रा .... आवेदक
पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मठोरा
जनपद पंचायत–मालखरौदा
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मालखरौदा
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

:: आदेश ::

(08 सितम्बर 2006)

श्री रमेश कुमार चंद्रा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मठोरा के द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की कि उसके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूचना अधिकारी जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत मठोरा के निर्माण कार्य पिहरीद से भठोरा डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन के निर्माण कार्य के मस्टर रोल एवं अनुदानी की प्रति चाही गई थी। आवेदक ने आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा यह भी उल्लेख किया कि उक्त जानकारी हेतु जो भी शुल्क होगा, वह आवेदक देने हेतु तैयार है। आवेदक ने यह जानकारी दिनांक 19.01.06 को मांगी थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई।

2. आयोग के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिक1ारी, जनपद पंचायत मालखरोदा से प्रतिवेदन मांगा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिनांक 25.08.06 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि रमेश कुमार चंद्रा के द्वारा वांछित जानकारी देने हेतु सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मठोरा को लिखा गया है। सरपंच ने दिनांक 27.02.06 को सूचित किया कि विषयांकित दस्तावेज का प्रभार उन्हें पूर्व सरपंच के द्वारा नहीं दिया गया। उक्त तीनों कार्य सरपंच श्री गौरीलाल की कार्य अवधि में कराये गये। आयोग के समक्ष आवेदक को गौरीलाल चंद्रा ने पिहरीद से भठोरा डब्ल्यू.बी.एम. कार्य की अनुदानी (अनुबंध पत्र की प्रति) दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मालखरोदा के द्वारा विषयांकित संबंध में कलेक्टर के समक्ष की गई शिकायत में दिये गये जवाब की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई। आवेदक का यह कथन है कि कार्य उसके द्वारा सरपंच की हैसियत से कराया गया, उसके पश्चात् के सरपंच को भुगतान हेतु राशि दी गई तथा उसके द्वारा मूल मस्टर रोल के स्थान पर अन्य मस्टर रोल बनाकर मजदूरों को भुगतान किया गया जिससे कि वास्तव में जिन मजदूरों ने कार्य किया, उनके स्थान पर

अन्य लोगों को भुगतान दिये गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि मस्टर रोल ग्राम पंचायत में ही रखे जाते हैं। जनपद पंचायत के द्वारा भुगतान हेतु राशि दी जाती है। चूंकि कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही क्रियान्वित किये जाते हैं अतः मस्टर रोल ग्राम पंचायत के द्वारा ही भरे जाकर ग्राम पंचायत के द्वारा ही मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा लिखित में यह तर्क दिया गया कि चूंकि आवेदक तत्कालीन सरपंच के द्वारा ही कार्य किया गया था अतः उन्हें पत्र दिनांक 19.01.06 के द्वारा सड़क निर्माण, आंगन बाड़ी भवन, पंचायत भवन निर्माण का मस्टर रोल जमा करने के लिए लिखा गया था, उनके द्वारा अपना पश्चात्वर्ती प्रभारी सरपंच को मस्टर रोल नहीं दिये गये, फलस्वरूप मजदूरी के भुगतान में विलम्ब होने से प्रभारी सरपंच के द्वारा मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने बतलाया कि मस्टर रोल का अभिलेख ग्राम पंचायत के पास ही रहता है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना के निर्देशों में प्रत्येक कार्य का अलग से मस्टर रोल रखे जाने तथा सरपंच द्वारा विधिवत् सत्यापित किये जाने का उल्लेख है। यह सामान्य परंपरा रही है कि जिस एजेंसी के द्वारा कार्य किया जाता है वही मस्टर रोल संधारित करती है तथा भुगतान भी उसी के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत गठित स्वतंत्र निकाय है अतः ग्राम पंचायत की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत सूचना अधिकारी से प्राप्त हो सकती है। आवेदक स्वयं भूतपूर्व सरपंच है उसे वांछित जानकारी हेतु ग्राम पंचायत से ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देना चाहिए। यह आपत्तिजनक है कि ग्राम पंचायत में भुगतान किया गया मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना बतलाया गया। चूंकि ग्राम पंचायत ने ही मजदूरी को भुगतान किया था अतः मस्टर रोल ग्राम पंचायत के ही सरंक्षण में होना चाहिए। चूंकि आवेदक ने फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान करने का उल्लेख किया है अतः मस्टर रोल उपलब्ध न होने की जांच होना आवश्यक है। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मस्टर रोल उपलब्ध न होने की जांच करावें तथा आवेदक को भुगतान किये गये मस्टर रोल की प्रति दिया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक भी ग्राम पंचायत को विधिवत आवेदन पत्र देकर मस्टर रोल की प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकता है।

4. उपरोक्त निर्देश के साथ इस शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त